न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 67/2019

जीसीएमएस नम्बर : 2019/00183

प्रार्थीगण:–

1. मृत भंवर सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपुत निवासी कुशालपुरा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के विधिक प्रतिनिधिगण
   1/1 बजरंग सिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी कुशालपुरा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
   1/2 रेखा कवंर पत्नी नटवर सिंह पुत्री स्वं. भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा हाल निवासी सुरत
   1/3 लवकुशपाल सिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी कुशालपुरा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी सुरत
2. करणसिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपुत निवासी कुशालपुरा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
3. भगवान सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपुत निवासी कुशालपुरा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. स्व. रामसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपुत के कायम मुकाम
   1/1 भंवरसिंह पुत्र स्वं. रामसिंह जाति राजपुत निवासी कुशालपुरा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
   1/2 मृतक श्रवणसिंह पुत्र स्व. रामसिंह राजपुत के कायम मुकाम
   1/2/1 सुशीला कंवर पत्नी स्व. श्रवणसिंह
   1/2/2 अर्जुनसिंह पुत्र स्व. श्रवणसिंह
   1/2/3 विक्रमसिंह पुत्र स्व. श्रवणसिंह
   1/2/4 कुलदीप सिंह पुत्र स्व. श्रवणसिंह
   जतिगण राजपुत निवासीगण कुशालपुरा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
   1/3 शोबकंवर पत्नी स्व. रामसिंह जाति राजपुत निवासी कुशालपुरा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
   1/4 रसालकंवर पत्नी भंवरसिंह पुत्री स्व. रामसिंह जाति राजपुत निवासी उमरी जिला भीलवाड़ा
   1/5 सेणकंवर पत्नी जेठुसिंह पुत्री स्व. रामसिंह जाति राजपुत निवासी गांव जांदरा, जिला भीलवाड़ा
   1/6 धनकंवर पत्नी अर्जुनसिंह पुत्री स्व. रामसिंह जाति राजपुत निवासी गांव जेलरा, जिला भीलवाड़ा
   1/7 मानकंवर पत्नी गुडडुसिंह पुत्री स्व. रामसिंह जाति राजपुत निवासी गांव कारोही जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत चिरपटिया जरिये सरपंच

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

अति. जिला कलेक्टर पाली

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय।
2. अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/7 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन सिंघल।

–: निर्णय :–

दिनांक : 17/12/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत चिरपटिया द्वारा मिसल संख्या 23 दिनांक 23.11.1972, संकल्प दिनांक 24.05.1976 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी रामसिंह पुत्र डुंगरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 16.12.1977 एवं पट्टा संख्या 44 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी रामसिंह के पक्ष में एक ही भूखण्ड के दो पट्टे जारी कर दिये। उक्त दोनों पट्टे की मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत में उपलब्ध दोनों पट्टे देखने मात्र से कुटरचित प्रतीत होते है क्योंकि दोनों पट्टों आवश्यक जानकारी की जगह खाली छोड़ी हुई है। जैर निगरानी आराजी के पूर्व दिशा में प्रार्थी के पिता के पक्ष में वर्ष 1972 में पट्टा जारी किया हुआ है और उक्त पट्टे की पश्चिम दिशा में खालसा भूमि अंकित किया हुआ है अर्थात् ग्राम पंचायत द्वारा जिस नाप का जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है वह मौके पर विद्यमान ही नहीं है। ग्राम पंचायत ने उक्त दोनों पट्टे मकान के रूप में जारी किये जबकि मौके पर कोई मकान विद्यमान नहीं है यह पुलिस तथा सिविल कोर्ट की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है। अप्रार्थीगण जैर निगरानी पट्टे की आड़ में प्रार्थीगण की पट्टासुदा भूमि पर दखल अन्दाजी कर रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने पर प्रार्थीगण को प्रश्नगत पट्टो की प्रथम बार जानकारी दिनांक 16.09.2019 को हुई और नियत समय में जैर निगरानी याचिका पेश की, जिसे अन्दर म्याद शुमार फरमावे। ग्राम पंचायत ने बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना कोई नक्शा बनाये, बिना कोई पंचों की कमेटी गठित किए, बिना कोई आपत्ति आमंत्रित किये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रक्रिया की पूर्णतया अवहेलना है, इसलिये विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण के कथनों का विरोध करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार मिसल संख्या 23/72–74 के जरिये दिनांक 16.12.1977 को 50 बाई 60 वर्गफीट का पट्टा संख्या 24 पुराने कब्जे के आधार पर अप्रार्थी रामसिंह के पक्ष में जारी किया। जैर आराजी पर अप्रार्थीगण के पिता का कब्जा दिनांक 16.12.1977 से बहुत पूर्व से ही चला आ रहा था और उनके जीवनकाल एवं उनके पश्चात् अप्रार्थीगण का बाड़ा बना हुआ है। पुलिस एवं सिविल न्यायालय की मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा जैर निगरानी आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है। अप्रार्थीगण का मौके पर 50 बाई 60 वर्गफीट नाप

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

का जैर निगरानी पट्टा सुदा भूखण्ड स्थित है। ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण जांच के पश्चात् पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों को अपनाते हुये सम्पूर्ण प्रक्रिया से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो पूर्णतया विधिसम्मत है। प्रश्नगत पट्ट राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 के तहत जारी किये गये है जिसमें मौके पर मकान निर्माण की बाध्यता नहीं थी अतः उक्त पट्टे विधिसम्मत है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 44 का कोई अस्तित्व नहीं है क्योकि उक्त पट्टे के सम्बन्ध में रामसिंह द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही उनके पक्ष में उक्त पट्टा जारी किया गया, न ही उनके पास इस नम्बर का कोई पट्टा विद्यमान है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण के दादा आपस में सगे भाई थे, इस कारण प्रार्थीगण का यह कथन पूर्णतया गलत है कि उन्हे जैर निगरानी पट्टे की जानकारी वर्ष 2019 में हुई। प्रार्थीगण को शुरूआत से ही प्रश्नगत पट्टे की जानकारी थी, इसके उपरान्त भी उन्होने उक्त निगरानी याचिका 45 की वर्ष की देरी से पेश की है, जो कि म्याद बाहर होने से भी खारिज योग्य है। पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड रखना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है अब यदि वर्तमान में जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है तो उसके लिये अप्रार्थीगण दोषी नहीं है। प्रार्थीगण विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी आराजी पर अतिक्रमण करने के इरादे से बिना किसी विधिक आधारों पर जैर निगरानी याचिका पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2015(4) DNJ RAJ 1853, 2014(3) WLN 396 RAJ, 2012(2) DNJ RAJ 602 पेश कर जैर निगरानी याचिका को खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत चिरपटिया द्वारा मिसल संख्या 23 दिनांक 23.11.1972, संकल्प दिनांक 24.05.1976 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी रामसिंह पुत्र डुंगरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 16.12.1977 एवं पट्टा संख्या 44 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि प्रार्थीगण ने जैर निगरानी याचिका लगभग 45 वर्ष के विलम्ब के बाद पेश की, जो म्याद बाहर है। इसकी ताईद में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2012(2) DNJ RAJ 602 के अनुसार (क) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–आवंटन आदेश दिनांक 22.10.1983 व 22.9.1995 को रद्द करने हेतु निगरानी–निगरानी पेश करने में 20 वर्ष का असाधारण विलम्ब–निगरानी शक्तियां युक्तियुक्त अवधि में उपयोग की जानी चाहिये–निगरानी 21.06.2005 को पेश की–निर्णित, अति. कलक्टर को विलम्ब के एकमात्र आधार पर निगरानी खारिज करनी चाहिये थी। (ख) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–धारा 97 के अन्तर्गत शक्ति का उपयोग–मियाद विहित नहीं है–धारा 61, 97ए व 71 के अन्तर्गत अपील के लिये मियाद प्रावधित है–अवधि की युक्तियुक्ता कई वर्षों तक विस्तारित होने का अर्थ नहीं लगाया जा सकता–नियमन व आवंटन के आदेश को अपील में चुनौती दी और यह 27.06.2005 को खारिज हुई तथा आदेश दिनांक 27.06.2005 अन्तिम हुआ–प्रार्थी के पिता व परिवार के सदस्य कई वर्षों से प्रश्नगत भूमि के अधिभोग में थे और उस पर निर्माण किया–सभी आवश्यक भुगतान किये–निर्णित, मामला प्रतिप्रेषित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

करना अवांछनीय था और निगरानी खारिज करनी चाहिये थी व अति. कलक्टर द्वारा पारित आदेश अपास्त किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण को सर्वप्रथम जैर निगरानी पट्टे की जानकारी वर्ष 2019 में हुई और नियत समय में समस्त दस्तावेजात् के साथ जैर निगरानी याचिका पेश की साथ ही जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brouth to their notice. इसी प्रकार 2018(2) DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह यह उल्लेख किया गया कि No limitation for exercising the reisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध माना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों को प्रयोग किया जा सकता है या जब भी ऐसे आदेश उनके ध्यान में लाए जाते है। साथ ही में विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि 45 वर्ष के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अति. जिला कलेक्टर पाली

अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस मुख्य उज्र था कि जैर निगरानी आराजी एक खालसा भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा, जिसकी ताईद जैर निगरानी आराजी के पूर्व दिशा में प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 13 से होती है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त कथन का विरोध करते हुये निवेदन किया कि उक्त भूमि पर रामसिंह का पट्टा जारी करने से बहुत पहले से कब्जा है एवं लगातार चला आ रहा है। इस तथ्य के सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन करने पर यह पाते है कि लिखित बहस के प्रथम पैरा में पुराने कब्जे के तथ्य एवं द्वितीय पैरा में यह स्पष्ट अंकित है कि "अप्रार्थीगण के पिता रामसिंह के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया था, उस भूमि पर पट्टा जारी करने की तिथि से बहुत पहले से मई 2019 तक रामसिंह एवं उनके परिवार का बिना किसी विघन के बहैसियत मालिक लगातार कब्जा रहा है।" इस तथ्य में अप्रार्थीगण की यह स्वीकारोक्ति है प्रश्नगत भूमि पर वर्ष 1977 से बहुत पहले से उनका कब्जा है। जैर निगरानी पट्टे के पड़ौस उत्तर दिशा में नदी, दक्षिण दिशा में रास्ता, पूर्व दिशा में बहादुर सिंह पुत्र सोहनसिंह का वाडा तथा पश्चिम दिशा में दरवाजा व रास्ता अंकित है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार पंचायत समिति चिरपटिया द्वारा बहादुर सिंह पुत्र सोहनसिंह राजपूत के पक्ष में मिसल संख्या 1/67–68 की पालना में पट्टा संख्या 13 दिनांक 25.08.1972 जारी किया, जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में नदी, दक्षिण दिशा में रास्ता, पूर्व दिशा में खालसा प्लॉट, पश्चिम दिशा में खालसा प्लॉट अंकित है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय मारवाड़ जंक्शन में प्रस्तुत वादपत्र के तृतीय पैरा में भी यह अंकित किया कि वादग्रस्त परिसर के पूर्व दिशा में प्रतिवादीगण का परिसर आया हुआ है, जिसके पट्टा नम्बर 13 बना हुआ है अर्थात् अप्रार्थीगण की यह स्वीकारोक्ति है कि पूर्व दिशा में स्थित भूखण्ड का पट्टा बना हुआ है। यदि अप्रार्थीगण के कथनानुसार मौके पर उनका कब्जा जैर बहुत पूर्व से विद्यमान होता, तो यह स्वाभावित एवं अपेक्षित था कि वर्ष 1972 में जारी पट्टा संख्या 13 के पड़ौस में अप्रार्थीगण के पिता का नाम अवश्य अंकित होता किन्तु उक्त पट्टे में पश्चिम दिशा में खालसा प्लॉट का उल्लेख किया गया है, न कि अप्रार्थीगण के पूर्वज का नाम। यह तथ्य अप्रार्थीगण के कथन को प्रथम दृष्टया ही अविश्वसनीय बनाता है। खालसा प्लॉट का तथ्य यह स्पष्ट संकेत करता है कि उस समय वहां पर किसी निजी व्यक्ति का कब्जा या मान्यता प्राप्त अधिकार अस्तित्व में नहीं था। अप्रार्थीगण द्वारा न तो कोई राजस्व अभिलेख, न ही कोई स्वतंत्र साक्ष्य दस्तावेज पेश किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि विवादित भूमि पर उनका पुराना कब्जा चला आ रहा हो, केवल बहस में पुराने कब्जे का कथन, बिना किसी ठोस साक्ष्य के, विधि की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस अन्य मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टे में वर्णित नाप का भूखण्ड मौके पर स्थित नहीं है इसके अतिरिक्त साथ ही मौके पर कोई मकान स्थित नहीं है जबकि उक्त पट्टा मकान की हैसियत से जारी किया गया। विपक्षी अधिवक्ता ने उक्त कथन का खण्डन करते हुये निवदेन किया कि मौके पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी नाप 50 बाई 60 अनुसार अप्रार्थी का कब्जासुदा

अति. जिला कलेक्टर पाली

भूखण्ड स्थित है जिसके कुछ भाग पर प्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है, जो कि पुलिस रिपोर्ट एवं सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है, साथ ही और प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है, जिसमें मौके पर पुराने मकान की बाध्यता नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु सिविल न्यायालय के प्रकरण में प्राप्त मौका रिपोर्ट एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अभिलेखीय साक्ष्य है, जो यह दर्शाता है कि जैर निगरानी भूखण्ड वर्तमान में वास्तवित रूप से मौके पर विद्यमान है, जिसके एक भाग पर प्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण किया गया है। न्यायालय हाजा में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत केवल किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य का परीक्षण किया जाना है। वास्तविक अतिक्रमण का विवाद एक पृथक प्रश्न है, जिसके निराकरण हेतु दोनों पक्ष सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है, जिसमें मौके पर पुराने मकान का होना अनिवार्य शर्त नहीं है। यद्यपि पट्टे के निर्धारित प्रारूप में मकान का उल्लेख किया गया है किन्तु यह मात्र एक विवरणात्मक प्रविष्टि है, न कि अनिवार्य शर्त। अतः इस आधार पर पट्टे की वैद्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

अधिवक्ता प्रार्थीगण का अन्य उज्र यह था कि जैर निगरानी आराजी के ग्राम पंचायत द्वारा दो अलग अलग पट्टा संख्या 24 एवं 44 जारी किये गये जो कि पंचायती राज नियमों की अवहेलना है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थीगण के पिता रामसिंह के पक्ष में पुराने कब्जे के आधार पर मिसल संख्या 23/72–74 के जरिये दिनांक 16.12.1977 को 50 बाई 60 वर्गफीट का पट्टा संख्या 24 जारी किया। पट्टा संख्या 44 के सम्बन्ध में उनके द्वारा कभी कोई कार्यवाही नहीं की गई, और न ही उन्हें उक्त पट्टा कभी प्राप्त हुआ। हस्तगत प्रकरण ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेखों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि रामसिंह पुत्र डुंगर सिंह निवासी कुशालपुरा के पक्ष में पट्टा संख्या 24 तथा पट्टा संख्या 44 दोनों जारी किए गए है तथा दोनों पट्टों का पड़ौस पूर्णत समान है। इससे यह तथ्य स्थापित होता है कि दोनों पट्टे एक ही भू–खण्ड से सम्बन्धित है। अभिलेख यह भी दर्शाते है कि दोनों पट्टे एक ही मिसल संख्या 23/23.11.1972 से जारी हुए हैं तथा दोनों पर एक ही सरपंच, उप–सरपंच एवं नक्शा–नवीस के हस्ताक्षर अंकित है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों पट्टे न तो अलग–अलग अवसरों पर और न ही भिन्न–भिन्न कार्यवाहियों में जारी हुए, बल्कि एक ही प्रक्रिया एवं एक ही प्राधिकारी द्वारा निर्गत किए गए है। अप्रार्थीगण द्वारा पट्टा संख्या 24 को स्वीकार किया जाना किन्तु उसी मिसल उसी आधार एवं उसी हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा जारी पट्टा संख्या 44 को बिना किसी ठोस एवं विश्वसनीय कारण के नकारा जाना, उनके कथनों को स्पष्ट रूप से विरोधाभासी बनाता है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई पक्ष एक ही आधार से उत्पन्न दस्तावेजों में से किसी एक को स्वीकार कर अन्य को मननाने रूप से अस्वीकार नहीं कर सकता। राजस्थान पंचायती राज नियमों के अनुसार एक ही भूखण्ड के लिये एक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

से अधिक पट्टे जारी नहीं किए जा सकते। वर्तमान प्रकरण में एक ही भूमि के लिए दो पट्टों का निर्गमन स्वयं में नियमों के प्रत्यक्ष उल्लंघन को दर्शाता है। जब एक ही भूखण्ड के लिए, एक ही मिसल से, एक ही प्राधिकारी द्वारा दो अलग–अलग पट्टे जारी किये जाते हैं, तो ऐसे दोनों पट्टे संदिग्ध, अविश्वसनीय एवं विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण माने जाते है। प्रकरण में न्यायालय यह स्पष्ट रूप से पाता है कि जैर निगरानी पट्टा महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य विवरणों से रहित है। पट्टे में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उसे ग्राम पंचायत के किस संकल्प संख्या की अनुपालना में जारी किया गया है तथा केवल संकल्प की तिथि का उल्लेख किया जाना वैधानिक अनुपालन की पूर्ति नहीं करता, जिससे पट्टे की वैद्यता, प्रमाणिकता एवं विश्वसनीयता पर गम्भीर प्रश्नचिह्न उत्पन्न होता है।

हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड यथा मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना भी पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह् अंकित करता है। भूमि का पट्टा तभी वैध माना जाता है जब वह स्पष्ट रूप से भूमि की सीमाएं, स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों को प्रमाणित करता हो। राजस्थान पंचायती राज एक्ट और सम्बन्धित नियमों के अनुसार, पट्टा जारी करते समय उसका पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है। पुरे रिकॉर्ड के बिना पट्टा जारी करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है क्योंकि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो जाती है। बिना मिसल के जारी पट्टे की वैधता संदिग्ध होती है। इसका अर्थ है कि पट्टा फर्जी, गलत या भ्रष्टाचार से प्रभावित हो सकता है। ग्राम पंचायत के पास पट्टे का पूरा रिकॉर्ड होना अनिवार्य है, यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो यह पट्टा जारी करने में प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा। जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1997 SC 1125 L. Chandra Kumar vs Union of India में स्पष्ट किया कि पट्टे के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और उचित रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त Ram singh vs State of UP, 2015 के अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का होना अनिवार्य है। बिना रिकॉर्ड के पट्टा की वैधता नहीं मानी जाएगी। ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड का गायब होना जानबूझकर दस्तावेजों से छेडछाड की आशंका को जन्म देता है, इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने 1957 AIR 882 Union of India vs T.R. Varma में स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता स्वयं में जांच का आधार है, खासकर जब वह किसी विवादित निर्णय से सम्बन्धित हो। इसी तरह 2003 RLW 1119 Ramchandra vs State of Rajasthan में यह अंकित किया कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा बिना वैध रिकॉर्ड के या बिना अधिसूचना के जारी किया गया है, तो वह आदेश कानूनन टिक नहीं सकता। यहां पर माननीय न्यायायल के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1958 SC 32 M.C. Chockalingam vs Union of India में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि भूमि पट्टों के मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन आवश्यक है, अन्यथा पट्टा रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

किया कि यदि पट्टे के साथ सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो पट्टे को संदिग्ध माना जाएगा और वह रद्द किया जा सकता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेशों में पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखरखाव को जरूरी बताया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर ही नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत चिरपटिया द्वारा मिसल संख्या 23 दिनांक 23.11.1972, संकल्प दिनांक 24.05.1976 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी रामसिंह पुत्र डुंगरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 16.12.1977 एवं पट्टा संख्या 44 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति ग्राम पंचायत को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली